



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1239]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 12, 2007/आश्विन 20, 1929

No. 1239]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2007/ASVINA 20, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2007

New Delhi, the 12th October, 2007

का. आ. 1745(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय (तत्कालीन कम्पनी कार्य मंत्रालय) की अधिसूचना का.आ. 339 (अ), तारीख 9 मार्च, 2007 जो भारत के राजपत्र असाधारण में तारीख 9 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (4) पर निम्नलिखित शब्दों—

“श्री धनंजय वी. जोशी,
अध्यक्ष, भारतीय लागत तथा संकर्म
लेखापाल संस्थान”

के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“श्री चंद्र वाधवा, अध्यक्ष,
भारतीय लागत तथा संकर्म
लेखापाल संस्थान” ।

[फा.सं. 1/5/2001-सी.एल. V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. का. आ. 339(अ) तारीख 9 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् सं. का.आ. 636(अ) तारीख 24 अप्रैल, 2007 द्वारा संशोधित की गई थी।

S.O.1745(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs (then Ministry of Company Affairs), published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 9th March, 2007, *vide* number S.O. 339 (E) dated the 9th March, 2007, namely :—

In the said notification, at serial number (4), for the words—

“Shri Dhananjay V. Joshi,
President of the Institute of Cost
and Works Accountants of India”,

the following words shall be substituted, namely :—

“Shri Chandra Wadhwa,
President of the Institute of Cost
and Works Accountants of India”.

[F. No. 1/5/2001-CL. V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note:—The Principal notification was published *vide* number S.O. 339 (E) dated the 9th March, 2007 and subsequently amended by No. S.O. 636(E) dated the 24th April, 2007.